



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19082021-229133
CG-DL-E-19082021-229133

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3145]
No. 3145]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 2021/श्रावण 27, 1943
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 18, 2021/SRAVANA 27, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2021

का.आ. 3398(अ)—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 15, जनवरी, 2021 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 182 (अ) तारीख 12, जनवरी, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, पंजाब राज्य के फतेहगढ़ साहिब जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप-धारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, द ट्रिब्यून (अंग्रेजी) और अजीत (पंजाबी) तारीख 30 जनवरी, 2021 को प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे और सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया, तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

पंजाब राज्य के फतेहगढ़ साहिब जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् ईस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके बिना अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

क्रम संख्या	तहसील	ग्राम	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	मस्तील संख्या	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल हैक्टर में	भू-स्वामियों / हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	अमलोह	तलवाड़ा	निजी	कृषि	21	21/1	0.1138	लार्ड महावीर इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड मंडी गोबिंदगढ़
			निजी	कृषि	21	22/1	0.0317	
			निजी	कृषि	22	17/1	0.0042	
			निजी	कृषि	22	16/2	0.1050	
			निजी	कृषि	22	25/2	0.0146	
			निजी	कृषि	24	2/3	0.0759	
			निजी	कृषि	24	2/2	0.0089	आर.एस.इस्पात उद्योग जी.टी. रोड सरहिंद साइड मंडी गोविंदगढ़
			निजी	कृषि	24	3/1	0.0632	
			सरकारी	गैर कृषि	-	42 (Nala)	0.0056	नगर पंचायत
2		अजनाली	निजी	कृषि	-	1891/262	0.0211	दर्शन सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह
			निजी	कृषि	-	1890/262	0.0487	जगजीत सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह

[फा. सं. 2021/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2179]

ए.के. सिन्हा, कार्यकारी निदेशक (भू. एवं सु. और स्टे.वि.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th August, 2021

S.O. 3398(E).—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 182 (E), dated the 12th January, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 15th January, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule

annexed to the said notification for execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Fatehgarh Sahib in the State of Punjab;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers The Tribune and Ajit, dated the 30th January, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections have been received and the same have been considered by the competent authority and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989 the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Fatehgarh Sahib in the State of Punjab.

S. No.	Name of Taluk	Name of Village	Type of Land	Nature of Land	Musteel Number	Survey Number	Area (in Hectare)	Name of Land Owners/ Interested Persons
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Amloh	Talwara	Private	Agriculture	21	21/1	0.1138	Lord Mahaveer Industries Private Limited (Mandi Gobindgarh).
			Private	Agriculture	21	22/1	0.0317	
			Private	Agriculture	22	17/1	0.0042	
			Private	Agriculture	22	16/2	0.1050	
			Private	Agriculture	22	25/2	0.0146	
			Private	Agriculture	24	2/3	0.0759	
			Private	Agriculture	24	2/2	0.0089	R.S Ispat Udyog G.T. Road Sirhind side Mandi Govindgarh.
			Private	Agriculture	24	3/1	0.0632	
			Government	Non Agriculture	-	42 (Nala)	0.0056	Nagar Panchayat.
2		Ajnali	Private	Agriculture	-	1891/262	0.0211	Darshan Singh S/o Mukhtiyar Singh.
			Private	Agriculture	-	1890/262	0.0487	Jagjit Singh S/o Mukhtiyar Singh.

[F. No. 2021/LML-II/12/2/EC/2179]

A.K. SINHA, Executive Director (L&A and SD)